अनुलग्नक

राज्य आपदा कार्रवाई कोष (एस डी आर एफ) और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष (एन डी आर एफ) से सहायता देने की मदों और मानदंडों की संशोधित सूची

(अवधि 2015-20, गृह मंत्रालय का दिनांक 8 अप्रैल, 2015 का पत्र संख्या 32-7/2014-एन डी एम-I)

क्रम संख्या	मद	सहायता के मानदण्ड
1.	2	3
	आनुग्राहिक राहत क) मृतकों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान।	प्रत्येक मृतक के लिए **4.00 लाख रु.**। इसमें वे भी शामिल हैं जो राहत प्रचालनों में शामिल हैं अथवा तैयारी संबंधी कार्यकलापों से संबद्ध हैं, यह उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मृत्यु के कारण संबंधी प्रमाण के अध्यधीन हैं।
	ख) शरीर के किसी अंग (लिंब) अथवा आँख/ आँखों की हानि होने पर अनुग्रह राशि का भुगतान	प्रति व्यक्ति **59,100 रु.**, जब अपंगता 40% और 60% के बीच हो। प्रति व्यक्ति **2.00 लाख रु.** जब अपंगता 60% से अधिक हो। अपंगता की सीमा और उसके कारण के संबंध में सरकारी अस्पताल अथवा डिस्पैंसरी के डाक्टर द्वारा किए गए प्रमाणन के अध्यधीन।
	ग) ऐसा गहरा जख्म जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है	प्रति व्यक्ति **12,700/- रु.**, एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर। प्रति व्यक्ति **4300 रु.**, एक सप्ताह से कम अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर।
	घ) किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जिनके घर पानी में बह गए हैं/पूर्णरुप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं/दो दिन से अधिक से पानी में डूबे हुए हैं, उन परिवारों के लिए कपड़े और बर्तन/घरेलू	**1800/- रु.** प्रति परिवार, कपड़ों की हानि के लिए। **2000 रु.** प्रति परिवार, बर्तनों/घरेलू सामान की हानि के लिए।

	सामान।	
	ङ) ऐसे परिवार जिनकी आजीविका का साधन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।	60 रु. प्रति वयस्क और 45 रु. प्रति बालक/बालिका, उनके लिए जिन्हें राहत कैम्पों में आश्रय नहीं मिला है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार जिला-वार इन लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए आधार और प्रक्रिया उपलब्ध कराएगी। आनुग्रहिक राहत उपलब्ध कराने की अवधि राज्य कार्यकारी समिति (एस ई सी) और केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) द्वारा किए गए आकलन के अनुसार होगी। सहायता की चूक अवधि 30 दिन की होगी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर पहले 60 दिन और तदनन्तर सूखा/कीट हमले के मामले में 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। वास्तविक स्थिति के आधार पर राज्य कार्यकारी समिति इस अवधि को निर्धारित सीमा से अधिक समय के लिए बढ़ा सकती है बशर्ते कि इसके लिए किया गया व्यय वर्ष के दौरान एस डी आर एफ के लिए किए गए आबंटन के 25 प्रतिशत से अधिक न हो।
2.	**खोज एवं बचाव अभियान**	
	क) खोज और बचाव उपायों/प्रभवित/जिनके प्रभावित होने की संभावना है, उन लोगों को खतरे की संभावना वाले स्थानों से निकालने की लागत।	एस ई सी द्वारा आकलित और केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) द्वारा अनुशंसित खर्च की गई वास्तविक लागत के अनुसार - जब तक केन्द्रीय टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया जाता है ये कार्यकलाप पहले ही खत्म हो जाते हैं। अतः राज्य स्तरीय समिति और केन्द्रीय टीम वास्तविक/लगभग वास्तविक लागतों की सिफारिश कर सकती है।
	ख) तत्काल राहत पहुंचाने और जान बचाने के लिए नौकाएं किराए	- एस ई सी द्वारा आकलित तथा केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) द्वारा अनुशंसित खर्च की गई वास्तविक लागत के

	पर लेना।	अनुसार। - सहायता की मात्रा, किसी अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के दौरान मानव जीवन को बचाने के लिए फंसे हुए लोगों के बचाव के लिए नौकाएं किराए पर लेने और अपेक्षित आवश्यक उपकरणो पर हुए वास्तविक खर्च तक सीमित होगी।
3.	**राहत उपाय**	
	क) प्रभावित/निकाले गए और राहत कैंपों में आश्रय पाए लोगों के अस्थायी आवास, भोजन, कपड़ों, चिकित्सा देखभाल आदि हेतु प्रावधान।	30 दिन की अवधि के लिए, एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार। एस ई सी द्वारा कैंपों की संख्या, उनकी अवधि और कैम्पों में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करना आवश्यक होगा। सूखा, अथवा भूकंप अथवा बाढ़ आदि द्वारा हुई व्यापक तबाही जैसी आपदा के बने रहने की स्थिति में, यह अवधि 60, दिन तक और गंभीर सूखे के मामले में 90 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। वास्तविक स्थिति के आधार पर राज्य कार्यकारी समिति इस अवधि को निर्धारित सीमा से अधिक समय के लिए बढ़ा सकती है बशर्ते कि इसके लिए किया गया व्यय वर्ष के दौरान एस डी आर एफ के लिए किए गए आबंटन के 25 प्रतिशत से अधिक न हो। इलाज की व्यवस्था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) द्वारा की जाए।
	ख) हवाई जहाज से आवश्यक वस्तुएं गिराना	एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) की अनुशंसा के आधार पर वास्तविक लागत के अनुसार -सहायता की मात्रा, रक्षा मंत्रालय द्वारा अनिवार्य वस्तुओं को हवाई जहाज से जमीन पर गिराने संबंधी बिलों में दर्शाई गई

		वास्तविक राशि और बचाव अभियानों तक ही सीमित होगी।
	ग) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल की आपातकालीन आपूर्ति का प्रावधान	एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) की गई अनुशंसा के आधार पर वास्तविक लागत के अनुसार 30 दिन की अवधि के लिए जिसे सूखे के मामले में 90 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। वास्तविक स्थिति के आधार पर राज्य कार्यकारी समिति इस अवधि को निर्धारित सीमा से अधिक समय के लिए बढ़ा सकती है बशर्ते कि इसके लिए किया गया व्यय वर्ष के दौरान एस डी आर एफ के लिए किए गए आबंटन के 25 प्रतिशत से अधिक न हो।
4.	**प्रभावित क्षेत्रों की सफाई**	
	क) सार्वजनिक क्षेत्रों में मलबा हटाना	एस डी आर एफ के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता के लिए एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन के आधार पर और एन डी आर एफ के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता के लिए केन्द्रीय टीम के आकलन के अनुसार कार्य आरंभ होने की तारीख के 30 दिन के भीतर वास्तविक लागत के अनुसार।
	ख) प्रभावित क्षेत्रों से बाढ़ के पानी की निकासी	एस.डी.आर.एफ. के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता के लिए एस.ई.सी. द्वारा आवश्यकता के आकलन के आधार पर और केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) के आकलन के अनुसार कार्य आरंभ होने की तारीख से 30 दिन के भीतर वास्तविक लागत के अनुसार।
	ग) शवों का निस्तारण	वास्तविक लागत के अनुसार, जो एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम (एन डी आर एफ के मामले में) की गई अनुशंसा पर आधारित है।
5.	कृषि	

(i)	ऐसे किसानों जिनके पास 2 हैक्टेयर भूमि है, को सहायता	
क.	भूमि और अन्य नुकसान के लिए सहायता	
	क) कृषि भूमि से गाद निकालना (जहां पर रेत/गाद निक्षेप की मोटाई 3" से अधिक है, जिसे राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा)।	प्रत्येक मद के लिए 12,200/- रु. प्रति हैक्टेयर (इस शर्त के अध्यधीन कि लाभग्राही द्वारा अन्य किसी सरकारी योजना के तहत कोई अन्य सहायता/सब्सिडी प्राप्त नहीं की गई है/तथा वह उसको प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है)
	ख) पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि से मलबा हटाना।	
	ग)गाद निकालना/पुनरुद्धार/मछली फार्मों की मरम्मत।	
	घ)भू-स्खलन, हिमस्खलन, नदियों के मार्ग बदलने के कारण हुई पर्याप्त भू-भाग की हानि	37,500 रु. प्रति हैक्टेयर केवल उन छोटे और सीमान्त किसानों को जिनकी भूमि का स्वामित्व राजस्व अभिलेखों के अनुसार वैध है।
ख	**इनपुट सब्सिडी (जहां पर फसलों का नुकसान 33% और उससे अधिक है)**	
	क) कृषि फसलों, बागवानी फसलों और वार्षिक बागान फसलों के लिए	6,800/- रु. प्रति हैक्टेयर वर्षा सिंचित एवं खेती योग्य क्षेत्रों में। 13,500/- रु. प्रति हैक्टेयर जो आश्वासित सिंचित क्षेत्रों में, न्यूनतम सहायता, जो 1000 रु. से कम नहीं हो, के अध्यधीन होगी और बुवाई क्षेत्रों तक सीमित होगी।
	ख) बारहमासी फसलें	18000/- रु. प्रति हैक्टेयर सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए जो बुवाई किए जा रहे क्षेत्रों और न्यूनतम सहायता जो 2000 रु. से कम नहीं हो, के अध्यधीन होगी।

	ग) रेशम उत्पादन	**48,00/- रु.** प्रति हैक्टेयर, ईरी, मलबेरी, टुसार के लिए। **6000/- रु.** प्रति हैक्टेयर, मूगा के लिए।
(ii)	**ऐसे किसानों को इनपुट सब्सिडी जिनके पास 2 हैक्टेयर भूमि है**	**6800/- रु.** प्रति हैक्टेयर, वर्षा सिंचित क्षेत्रों एवं बुवाई क्षेत्रों में। **13500 रु.** प्रति हैक्टेयर, आश्वासित सिंचाई के अंतर्गत आने वाले तथा बुवाई क्षेत्रों के लिए। **18000 रु.** प्रति हैक्टेयर, सभी प्रकार की बारहमासी फसलों तथा बुवाई क्षेत्रों के लिए। 2 हैक्टेयर प्रति किसान की दर से सहायता दी जा सकती है बशर्ते कि फसल की क्षति 33 प्रतिशत तथा इससे अधिक हो।
6	**पशुपालन - छोटे और सीमांत किसानों को सहायता**	
	(ii) दुधारु पशुओं, गैर-दुधारू पशुओं अथवा ढुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले पशुओं की भरपाई।	**दुधारू पशु -** **30,000 रु.** - भैंस/गाय/ऊँट/याक/मिथुन आदि **3,000/- रु.** भेड़/बकरी/सूअर **गैर-दुधारू पशु -** **25000 रु.** - ऊँट/घोड़ा/बैल आदि **16,000 रु.** बछड़ा/गधा/टट्टू/खच्चर - सहायता आर्थिक रूप से उत्पादक पशुओं की वास्तविक हानि तक सीमित हो सकती है और यह इस बात पर ध्यान दिए बिना कि किसी घर में अधिक पशुओं का नुकसान हुआ है, प्रत्येक घर के लिए 3 बड़े दुधारू पशु अथवा 30 छोटे दुधारू पशुओं अथवा 3 बड़े गैर-दुधारू पशु अथवा 6 छोटे गैर-दुधारू पशुओं की सीमा के अध्यधीन होगी। (राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा नुकसान प्रमाणित किया जाएगा)।

		मुर्गीपालन:- प्रति लाभार्थी परिवार को 5,000/- रु. की सहायता के अध्यधीन मुर्गीपालन हेतु **प्रति पक्षी 50/- रु**। मुर्गीपालन में पक्षियों की मृत्यु प्राकृतिक आपदा के कारण होनी चाहिए। टिप्पणी: यदि सहायता किसी अन्य सरकारी स्कीम, अर्थात एवियन इन्फ्लुएंजा अथवा किसी अन्य बीमारी के कारण हुए पक्षियों के नुकसान, से उपलब्ध होती है जिसके लिए पशु पालन विभाग के पास पोल्ट्री मालिकों की क्षतिपूर्ति हेतु कोई अलग स्कीम है तो इन मानदण्डों के अंतर्गत राहत हेतु पात्रता नहीं होगी।
	(ii) पशु कैंपों में जलापूर्ति तथा दवाइयों सहित चारे/फीड कन्सन्ट्रेट का प्रावधान	बड़े पशु - **70 रु.** प्रति दिन छोटे पशु - **35रु.** प्रति दिन राहत प्रदान किए जाने की अवधि राज्य कार्यकारी समिति द्वारा आवश्यकता के आकलन तथा केन्द्रीय दल की सिफारिश (एन डी आर एफ के मामले में) के आधार पर तय की जाएगी। सहायता से लिए चूक अवधि 30 दिन होनी जिसे प्रथम बार 60 दिन तथा गंभीर सूखे की स्थिति में 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। वास्तविक स्थिति के आधार पर राज्य कार्यकारी समिति इस समय-सीमा को निर्धारित अवधि से अधिक समय के लिए बढ़ा सकती है बशर्ते कि इसके लिए किया गया व्यय वर्ष के दौरान एस डी आर एफ के लिए किए गए आबंटन के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। वास्तविक लागत, जो पशुधन गणना के अनुसार पशुओं के अनुमान के समनुरूप एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम की सिफारिश (एन डी आर एफ के मामले में) पर आधारित होगी और

		दवाइयों व वैक्सीन की आवश्यकता आपदा संबंधित है, यह सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किए जाने के अध्यधीन हैं।
	(iii) पशु कैंपों से बाहर के पशुओं के लिए चारा ले जाना।	परिवहन की वास्तविक लागत के अनुसार, पशुधन गणना के आधार पर पशुओं के अनुमान के समनुरूप एस ई सी द्वारा आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम की सिफारिश (एन डी आर एफ के मामले में) पर आधारित है।
7	**मछली पालन**	
	(ii) मछुआरों को क्षतिग्रस्त अथवा गुम हो गई नावों, जालों की मरम्मत/उन्हें बदलने हेतु सहायता। - नाव - डोंगी-केनोए - बेड़ा - जाल (यदि लाभार्थी किसी अन्य सरकारी स्कीम के अंतर्गत तात्कालिक आपदा हेतु पात्र है अथवा उसने कोई सब्सिडी/ सहायता प्राप्त की है तो उसे यह सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी)	**4100 रु.** केवल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नौकाओं की मरम्मत के लिए। **2100 रु.** आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जाल की मरम्मत के लिए। **9600 रु.** पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त नौकाओं को बदलने के लिए। **2600/- रु.** पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त जाल को बदलने के लिए।
	(ii) फिश सीड फार्म के लिए इनपुट सब्सिडी	**8200 रु.** प्रति हैक्टेयर। (यदि लाभार्थी पशु पालन, डेयरी और मछली पालन विभाग, कृषि मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई एकमुश्त सब्सिडी के अतिरिक्त किसी अन्य सरकारी स्कीम के अंतर्गत तात्कालिक आपदा हेतु पात्र है अथवा उसने कोई सब्सिडी/सहायता प्राप्त की है तो उसे यह सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
8	हस्तशिल्प/हथकरघा शिल्पकारों की सहायता	

	i) क्षतिग्रस्त औजारों/उपस्करों को बदलने हेतु	उपस्करों के लिए प्रति शिल्पकार 4100 रु. - सरकार द्वारा क्षति और इसकी भरपाई के संबंध में नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन के अध्यधीन।
	ii) कच्ची सामग्री/कार्य में लगी वस्तुएं/तैयार माल की हानि के लिए	कच्ची सामग्री के लिए प्रति शिल्पकार 4100 रु. - सरकार द्वारा क्षति और इसकी भरपाई के संबंध में नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन के अध्यधीन।
9	**आवास**	
	क) पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त/ नष्ट हो गए मकान	
	i)पक्का मकान	
	ii)कच्चा मकान	
	ख) गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त मकान	मैदानी क्षेत्रों में 95,100 रु. प्रति मकान
	i)पक्का मकान	
	ii)कच्चा मकान	**एकीकृत कार्य योजना (आई ए पी) जिलों सहित पहाड़ी क्षेत्रों में 1,01,900 रु. प्रति मकान**
	ग) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान -	
	(i) पक्का/ (झोपड़ियों के अतिरिक्त) जहां पर क्षति कम से कम 15% है।	**5200 रु. प्रति मकान**
	(ii) कच्चा (झोपड़ियों के अतिरिक्त) जहां पर क्षति कम से कम 15% है।	**3200/- प्रति मकान**
	घ) क्षतिग्रस्त/नष्ट हो गई झोंपडियां	4100/- रु. प्रति झोंपड़ी (झोंपड़ी का अर्थ है अस्थाई तौर पर बनाई गई इकाई जो कच्चे मकान से कमजोर होती है, यह घास-फूस, मिट्टी प्लास्टिक की पन्नियों आदि से बनी होती हैं, राज्य/ज़िला प्राधिकरणों द्वारा इसे पारंपरिक तौर पर झोंपड़ी के रूप में माना जाता है)।

		टिप्पणी: क्षतिग्रस्त मकान राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित एक अधिकृत निर्माण होना चाहिए।
	ङ) घरों से लगी हुई कैटल-शैड	2100 रु. प्रति शैड
10.	**अवसंरचना**	
	क्षतिग्रस्त अवसंरचना की (तत्काल प्रकृति की) मरम्मत/पुनरुद्धार (1) सड़कें एवं पुल (2) पेयजलापूर्ति कार्य, (3) सिंचाई (4) विद्युत (प्रभावित क्षेत्रों में केवल विद्युत पूर्ति की तत्काल बहाली तक सीमित) (5)विद्यालय, (6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (7) पंचायत के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां। दूरसंचार और विद्युत (विद्युत पूर्ति की तत्काल बहाली को छोड़कर) जैसे क्षेत्रों, जो स्वयं अपने राजस्व का सृजन करते हैं, और अपनी निधियों/संसाधनों से तत्काल मरम्मत/पुनरुद्धार कार्य भी आरंभ करते हैं, को छोड़ दिया गया है।	**तत्काल प्रकृति के कार्यकलाप :** उन कार्यकलापों की निदर्शी सूचियां, जिन्हें तत्काल प्रकृति के कार्य समझा जा सकता है, परिशिष्ट में संलग्न हैं। **आवश्यकताओं का आकलन :** एस. ई. सी द्वारा मरम्मत के संबंध में राज्यों की लागत/दरों/अनसूचियों के अनुसार आवश्यकता के आकलन और केन्द्रीय टीम (एन. डी. आर. एफ. के मामले में) की अनुशंसा के आधार पर। -सड़कों की मरम्मत के संबंध में यातायात की बहाली हेतु भारी वर्षा/बाढ़, चक्रवात, भू-स्खलन, बालू टिब्बों आदि से प्रभावित सड़कों की मरम्मत के लिए समय-समय पर यथा संशोधित, भारत में सड़कों के रखरखाव संबंधी मानदंड, 2001 पर उपयुक्त ध्यान दिया जाएगा। संदर्भ के लिए मानदंड है :- • सामान्य और शहरी क्षेत्र - साधारण मरमम्त (ओ.आर.) और आवधिक मरम्मत (पी.आर.) के कुल 15% तक। • पहाड़ियां - ओ.आर. और पी.आर. के कुल 20% तक। -सड़कों की मरम्मत के मामले में राज्य की अधिसूचित साधारण मरम्मत (ओ आर) तथा आवधिक नवीकरण संबंधी कार्यों के आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी। यदि ओ आर एवं पी आर दरें उपलब्ध नहीं हैं तो राज्य राजमार्ग तथा प्रमुख जिला मार्गों के लिए 1 लाख रु.

		प्रति किलोमीटर की दर से तथा ग्रामीण सड़कों के लिए 0.60 लाख रु. प्रति किमी. की दर से सहायता प्रदान की जाएगी। यद्यपि यह सभी राज्यों के लिए अपेक्षित लक्ष्य है किंतु ऐसे अनुबंध की मॉनीटरिंग में आने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर यह शर्त कि "राज्यों को नियमित रखरखाव एवं मरम्मत के लिए पहले अपने बजट प्रावधान का उपयोग करना होगा" अब अपेक्षित नहीं होगी। - पुलों की मरम्मत तथा सिंचाई कार्यों के मामले में संबंधित राज्यों की अधिसूचित दरों की सूची के अनुसार सहायता दी जाएगी। लघु सिंचाई योजना के मामले में प्रति क्षतिग्रस्त योजना 1.5 लाख रु. की दर से सहायता प्रदान की जाएगी। मध्यम एवं वृहद् क्षतिग्रस्त सिंचाई परियोजनाओं के मामले में भी बांध हेतु ग्रामीण सड़कों के मामले के समान ही इस शर्त के अध्यधीन सहायता प्रदान की जाएगी कि इसे किसी भी चालू परियोजना के साथ दोहराया नहीं जाएगा। - क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं में मरम्मत के मामले में पात्र क्षतिग्रस्त पेयजल अवसंरचनाएं प्रति क्षतिग्रस्त अवसंरचना 1.5 लाख रु. की दर से सहायता प्राप्ति की पात्र होगी। - क्षतिग्रस्त प्राथमिक एवं सैकेण्डरी स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, आंगनवाड़ियों तथा पंचायत के स्वामित्व वाली सामुदायिक संपत्तियों की मरम्मत के लिए प्रत्येक क्षतिग्रस्त अवसंरचना हेतु 2 लाख रु. की दर से सहायता प्रदान की जाएगी। -क्षतिग्रस्त पावर सैक्टर की मरम्मत के संबंध में क्षतिग्रस्त कंडक्टरों, खंभों तथा 11 किलो वॉट क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मरों के लिए सहायता

		प्रदान की जाएगी। सहायता की दर 4000 रु. प्रति खंभा, क्षतिग्रस्त कंडक्टर हेतु 0.50 लाख रु. प्रति किलो मीटर तथा प्रत्येक संवितरण ट्रांसफॉर्मर के लिए 1.00 लाख रु. होगी।
11	प्रापण	
	आपदा की अनुक्रिया हेतु संचार उपस्करों सहित अनिवार्य खोज, बचाव व निकास उपस्करों आदि का प्रापण	- राज्य कार्यकारी समिति (एस ई सी) द्वारा किए गए आकलन के अनुसार व्यय केवल एस. डी. आर. एफ. से किया जाएगा (एन. डी. आर. एफ. से नहीं) -इस मद पर किया जाने वाला कुल व्यय एस. डी. आर. एफ. के वार्षिक आबंटन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
	क्षमता निर्माण	- राज्य कार्यकारी समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार केवल राज्य आपदा कार्रवाई कोष (न कि राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष) से व्यय किया जाएगा। - इस मद के लिए किया जाने वाला कुल व्यय राज्य आपदा कार्रवाई कोष के वार्षिक आबंटन के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए।
13	राज्य में स्थानीय परिप्रेक्ष्य के भीतर ऐसी राज्य विशिष्ट आपदाएं जो एस डी आर एफ/एन डी आर एफ से सहायता के लिए पात्र आपदाओं की अधिसूचित सूची में शामिल नहीं हैं, के लिए किए गए व्यय की पूर्ति एस डी आर एफ के लिए किए गए वार्षिक आबंटित के 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर की जा सकती हैं।	- राज्य कार्यकारी समिति (एस ई सी) द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार व्यय केवल राज्य आपदा कार्रवाई कोष (न कि राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष) से किया जाना होता है। - विभिन्न मदों के लिए मानदंड वही होंगे जो ऊपर सूचीबद्ध की गई अन्य अधिसूचित आपदाओं के मामले में लागू होते हैं। अथवा - इन मामलों में स्थानीय आपदा' के लिए प्रत्येक मद के लिए प्रदान की जाने वाली राहत सहायता एस डी आर एफ के मानदंडों से अधिक नहीं होनी चाहिए। - राज्य द्वारा एस ई सी के अनुमोदन से समावेश हेतु आपदाओं को औपचारिक रूप से

		सूचीबद्ध करने तथा ऐसी 'स्थानीय आपदाओं' के संबंध में आपदा राहत हेतु लाभग्राहियों की पहचान के लिए सुस्पष्ट प्रक्रिया सहित पारदर्शी मानदंडों एवं दिशानिर्देशों को अधिसूचित कर दिए जाने के पश्चात् ही छूट लागू होगी।

नोट: (i) राज्य सरकारों को अत्यंत सावधानी बरतनी है तथा यह सुनिश्चित करना है कि सभी प्रकार की वैयक्तिक लाभग्राही उन्मुख सहायता का संवितरण आवश्यक/अनिवार्य रूप से लाभग्राही के बैंक खाते (अर्थात् जन धन योजना इत्यादि) के माध्यम से की जाए।

(ii) 'स्थानीय आपदा' सहित सभी आपदाओं के लिए प्रत्येक मद के लिए प्रदान की जाने वाली राहत सहायता एस डी आर एफ/एन डी आर एफ के मानदंडों से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्यों द्वारा ऐसी आपदाओं के लिए सीमा से अधिक मात्रा में खर्च की गई राशि को राज्य सरकार के संसाधनों से वहन किया जाएगा न कि एस डी आर एफ से।

तत्काल प्रकृति की गतिविधि के रूप में निर्धारित गतिविधियों की निदर्शी सूची

1. **पेयजल आपूर्ति:**
   (i) हैण्ड पम्पों/रिंग वैल्स/स्प्रिंग-टेप्ड चेम्बरों/पब्लिक स्टैण्ड पोस्टों, सिस्टर्न के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्मों की मरम्मत।
   (ii) क्षतिग्रस्त पाइपों की जगह नए पाइप लगाने, स्वच्छ जल भण्डार (रिजर्वियर) की सफाई (इसे लीक प्रूफ बनाने के लिए) सहित क्षतिग्रस्त स्टैण्ड पोस्टों का पुनर्स्थापन।
   (iii) क्षतिग्रस्त इनटेक - स्ट्रक्चर, अप्रोच गनट्रीज/जेट्टी सहित क्षतिग्रस्त पंपिंग मशीनों, लीकिंग ओवरहैड रिजर्वियर तथा वाटर पंपों की मरम्मत।

2. **सड़कें:**
   (i) दरारों और गड्ढों को भरना, वाटरवेज का निर्माण, तटबंधों की मरम्मत तथा स्टोन पिचिंग के लिए पाइप का प्रयोग
   (ii) टूटी पुलियाओं की मरम्मत
   (iii) तत्काल कनैक्टिविटी बहाल करने के लिए पुलों के क्षतिग्रस्त/बह गए भागों के लिए डाइवर्जन की व्यवस्था करना
   (iv) पुलों तक पहुंच मार्गों/पुलों के तटबंधों की अस्थायी मरम्मत, क्षतिग्रस्त रेलिंग पुलों की मरम्मत, तत्काल कनैक्टिविटी बहाल करने के लिए कॉजवेज की मरम्मत एवं यातायात की बहाली के लिए ग्रैन्युल सबबेस तथा अत्यधिक क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

3. **सिंचाई :**
   (i) सीमेंट, रेत के बोरों और पत्थरों का प्रयोग करके क्षतिग्रस्त कैनाल स्ट्रक्चरों तथा तालाबों की मरम्मत।
   (ii) बांध की दीवारों/तटबंधों में पाइपिंग, रैट होल जैसे कमजोर क्षेत्रों की मरम्मत।
   (iii) कैनाल तथा जल मार्ग से वनस्पति सामग्री/निर्माण सामग्री/मलबे को हटाना।
   (iv) गौण, मध्यम एवं प्रमुख सिंचाई योजनाओं के बांधों की मरम्मत

4. **स्वास्थय:**
   प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की क्षतिग्रस्त पहुंच सड़कों, भवनों और विद्युत लाइनों की मरम्मत।

5. **पंचायतों की सामुदायिक परिसम्पतियां**
   क) ग्राम आन्तरिक सड़कों की मरम्मत।
   ख) नालियों/सीवरेज लाइनों से मलबे को हटाना
   ग) आन्तरिक जल आपूर्ति लाइनों की मरम्मत।
   घ) स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत।
   ङ) प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत घरों, सामुदायिक हॉलों, आंगनवाड़ी आदि की अस्थायी मरम्मत

6. विद्युत : खंभे/11 किलोवॉट के कंडक्टर तथा ट्रांसफॉर्मर

7. निम्नलिखित गतिविधियों के लिए मेरिट के आधार पर सहायता प्रदान किए जाने पर विचार किया जाएगा:-

	मदें/विवरण	तात्कालिक मरम्मत के लिए सहायता मानदंडों को अपनाया जाएगा
i)	क्षतिग्रस्त प्राथमिक विद्यालय भवन हायर सैकेंडरी/मिडल/कॉलेज तथा अन्य शैक्षणिक संस्थान भवन	प्रति यूनिट 1.50 लाख रु. कवर नहीं किया गया
ii)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्रति यूनिट 1.50 लाख रु.
iii)	बिजली के खंभे तथा तारें इत्यादि	नियामक लागत (प्रति खंभा 4000 रु. तथा प्रति किमी. 0.50 लाख रु.)
iv)	पंचायत घर/आंगनवाड़ी/महिला मंडल/युवा केन्द्र/सामुदायिक हॉल	प्रति यूनिट 2.00 लाख रु. तक
v)	राज्य राजमार्ग/प्रमुख जिला सड़कें	1.00 लाख रु. प्रति किलोमीटर
vi)	ग्रामीण सड़क/पुल	0.60 लाख रु. प्रति किलोमीटर
vii)	पेयजल योजना	1.50 लाख रु. प्रति यूनिट
viii)	सिंचाई क्षेत्र: गौण सिंचाई योजनाएं/नहर प्रमुख सिंचाई योजना बाढ़ नियंत्रण एवं भूमि अपरदन संरक्षण कार्य	1.50 लाख रु. तक/ योजना शामिल नहीं शामिल नहीं
xi)	जल विद्युत परियोजना/एच टी संवितरण प्रणाली/ट्रांसफॉर्मर एवं सब-स्टेशन	शामिल नहीं
x)	हाईटेंशन लाइन्ज (11 किलोवॉटर से अधिक)	शामिल नहीं
xi)	राज्य सरकार के भवन अर्थात् विभागीय/कार्यालय भवन, विभागीय/रिहायशी क्वार्टर, धार्मिक अवसंरचनाएं, पटवारखाना, न्यायालय परिसर, खेल का मैदान, जंगल बंगला सम्पत्ति एवं पशु/पक्षी अभ्यारण्य इत्यादि	शामिल नहीं
xii)	दीर्घकालिक/स्थायी मरम्मत कार्य संबंधी पहल	शामिल नहीं
xiii)	दीर्घकालिक प्रकृति का कोई नया कार्य	शामिल नहीं
xiv)	वस्तुओं का संवितरण	शामिल नहीं (तथापि, आपदाओं के उपरांत ऐसे परिवारों के लिए जी आर के रूप में सहायता का प्रावधान है जिन्हें इसकी अत्यंत आवश्यकता

		है)।
xv)	राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष के तहत उपकरणों/मशीनों का प्रापण	शामिल नहीं
xvi)	राष्ट्रीय राजमार्ग	शामिल नहीं (चूंकि मरम्मत कार्यों के लिए संपूर्ण व्यय को भारत सरकार वहन करती है)
xvii)	चारे का उत्पादन बढ़ाने के लिए चारे के बीज	शामिल नहीं

* यदि राज्य द्वारा ओ आर एवं पी आर रेट नहीं दिए गए हैं।